प्रकाशनार्थ अनुमोदित

उच्च न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़

रिट याचिका क्र. 1468 /1999v

याचिकाकर्तागण :- 1. दरसराम आत्मज स्वर्गीय श्री रतराम उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी हरिजन मोहल्ला, खरसिया, जिला- रायगढ़

2. पदुमलाल, आत्मज श्री राजाराम, उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी कैनाभाटा, मदनपुर, तहसील- खरसिया, जिला- रायगढ़

3. श्रीमती तुलसी बाई पति सुखलाल उम्र लगभग 36 वर्ष निवासी संजय नगर, वार्ड क्रमांक 14, खरसिया, जिला- रायगढ़

4. वरेन्द्र सिंह राज, आत्मज श्री नरहरि सिंह, उम्र लगभग 26 वर्ष

, गांव- वर्रा, तहसील- खरसिया, जिला- रायगढ़

5. रामसिंह राठिया, आत्मज श्री बस्तीराम, उम्र लगभग 28 वर्ष गांव-नागोई, तहसील- खरसिया, जिला- रायगढ़

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :- 1. नगर पंचायत खरसिया द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

खरसिया, जिला- रायगढ़, मध्य प्रदेश

2. अपर आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर, मध्य प्रदेश

3. कलेक्टर, रायगढ़, जिला- रायगढ़, मध्य प्रदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका

एकल न्यायपीठ: माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा, न्यायाधीश

23-01-2009

श्रीमती शर्मिला सिंघई, याचिकाकर्तागण हेतु अधिवक्ता ।

श्री संजय के. अग्रवाल साथ ही श्री सुदीप अग्रवाल, उत्तरवादीगण क्र. 01 हेतु

अधिवक्ता।

सुना गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ताओं ने यह याचिका अनुलग्नक पी-6 से पी-10 दिनांक 1.6.1998 के आदेश एवं अनुलग्नक पी-12 के कलेक्टर, रायगढ़ दिनांक 25.8.1998 के आदेश एवं अनुलग्नक पी-14 के अपर आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर दिनांक 18.2.1999 के आदेश से क्षुब्ध होकर यह याचिका प्रस्तुत किया है, जिसके तहत नगर परिषद ने याचिकाकर्ताओं को भृत्य के पद से मुक्त कर दिया था एवं सेवा से उनकी बर्खास्तगी के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील को कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा बाद में खारिज कर दिया गया था।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री शर्मिला सिंघई ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को नगर पंचायत, खरसिया द्वारा दिनांक 5.12.1995 (अनुलग्नक पी-1 से पी-5) के आदेश द्वारा उनकी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर भृत्य के रूप में नियुक्त किया गया था। हालाँकि, उन्हें दिनांक 1.6.1998 के आदेश द्वारा सेवाओं से मुक्त कर दिया गया, यह संकेत देते हुए कि नगर पंचायत का स्थापना व्यय निर्धारित सीमा से अधिक हो गया है एवं याचिकाकर्ताओं की सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है। उन्होंने दृढ़ता से तर्क दिया कि उपरोक्त समाप्ति आदेश याचिकाकर्ताओं को कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना कर्मचारी भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियम, 1968 (संक्षेप में '1968 के नियम') के नियम 49 का उल्लंघन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना पारित किया गया था, क्योंकि समाप्ति का प्रमुख दंड बिना किसी सूचना के लगाया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि नगर पंचायत की बैठक में याचिकाकर्ताओं को सेवा से हटाने का मुद्दा एजेंडे में नहीं था, किन्तु अंतिम समय में इस पर विचार किया गया एवं नगर पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया गया जो छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संक्षेप में '1961 का अधिनियम') की धारा 56(3) के विपरीत है। यह आधार कि स्थापना व्यय अनुमेय सीमा से अधिक था, तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को स्थापना से हटाने के पश्चात्, उत्तरवादी-नगर पंचायत द्वारा 17 शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति की गई थी।

4. इसके विपरीत, प्रतिवादी नगर पंचायत के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय के. अग्रवाल एवं श्री सुदीप अग्रवाल ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं के नियुक्ति आदेश (अनुलग्नक पी-1 से पी-5) से यह पता चलता है कि उन्हें दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था। नियम, 1968 नियम '13 के उप-नियम (3) में प्रावधान है कि "परिवीक्षा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सफलतापूर्वक पूरी होने पर, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उस सेवा या पद पर स्थायी कर दिया जाएगा जिस पर उसे नियुक्त किया गया है।"

5. उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् ही स्थायीकरण का आदेश पारित किया जाना है। स्थायीकरण के किसी भी स्पष्ट आदेश के अभाव में, याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को स्थायी नहीं माना जा सकता है एवं इस प्रकार, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात स्थायीकरण का स्पष्ट आदेश पारित किया जाना आवश्यक है।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को खारिज करते हुए कि नगर पंचायत की बैठक में संबंधित नोटिस में निर्दिष्ट के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं किया जा सकता, इस पर श्री अग्रवाल ने तर्क दिया कि अधिनियम 1961 की धारा 61 की उप-धारा (3) नगर पंचायत को बैठक में उपस्थित निर्वाचित (पार्षदों) के दो-तिहाई सदस्यों की सहमति से कोई भी कार्य करने का अधिकार देती है। रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय गुजरात एवं अन्य बनाम सी.जी. शर्मा [1] एवं सी.वी. सतीशचंद्रन बनाम महाप्रबंधक, यूको बैंक एवं अन्य के मामलों का अवलंब लिया गया है।

7. यह तर्क दिया गया कि अधिनियम 1961 की धारा 61 की उप-धारा (3) नगर पंचायत को उपस्थित (निर्वाचित) पार्षदों के दो-तिहाई की सहमति से कोई भी कार्य करने का अधिकार देती है।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

9. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु नियुक्त किया गया था, जबकि उनकी बर्खास्तगी का आदेश 2 वर्ष 5

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माह की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् पारित किया गया है। यह भी निर्विवाद है कि उत्तरवादी नगर पंचायत द्वारा याचिकाकर्ताओं को स्थायीकरण का कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया था।

10. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि उत्तरवादी -नगर पंचायत अपनी बैठक में कोई नया एजेंडा नहीं ले सकती थी, अधिनियम 1961 की धारा 61 की उपधारा (3) नगर पंचायत को बैठक में उपस्थित (निर्वाचित) पार्षदों के दो-तिहाई बहुमत की सहमति से किसी भी कार्य को करने का अधिकार देती है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रस्ताव बैठक में उपस्थित नगर पंचायत के (निर्वाचित) पार्षदों के दो-तिहाई बहुमत की सहमति से पारित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अगले निवेदन पर आते हुए कि 2 वर्ष की सफल परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात्, याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को स्थायी मान ली जाती है एवं इसलिए, पद से उनका हटाया जाना 1968 के नियम -49 के तहत परिभाषित दीर्घ शास्ति अधिरोपित करता है एवं, इसलिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना एवं कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना दीर्घ शास्ति अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। 1968 के नियम -13 के उप-नियम, (3) में निम्नानुसार प्रावधान है:-

> "13. (3) परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी होने पर, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उस सेवा या पद पर स्थायी कर दी जाएगी जिस पर उसे नियुक्त किया गया है।"

12. उपरोक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पूर्ण पश्चात् परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाओं को स्थायी करने वाला स्पष्ट आदेश

जारी किया जाना आवश्यक है एवं परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्वतः ही स्थायी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता है।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार, गुजरात उच्च न्यायालय एवं अन्य (पूर्वोक्त) के प्रकरण में समान स्थिति से निपटते हुए कंडिका 26 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

> "26. दोनों पक्षों ने हमारे समक्ष अनेक प्राधिकारियों का हवाला दिया। हालाँकि, उन सभी मामलों के विवरण में जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि नियम -5 के उप-नियम (4) महाराष्ट्र राज्य बनाम वीरप्पा आर. सबोजी के प्रकरण में समान विषयवस्तु विचाराधीन था एवं हम पाते हैं कि यदि दो वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है एवं परिवीक्षाधीन व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के पश्चात् भी सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो भी स्वतः स्थायीकरण का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि नियमों के अनुसार, कार्य संतोषजनक होना चाहिए जो स्थायीकरण के लिए एक पूर्वापेक्षा या पूर्व शर्त है एवं इसलिए, यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति को नियम में उल्लिखित दो वर्ष की अवधि से आगे भी सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो भी मान्य स्थायीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। नियम की भाषा में ही मान्य या स्वचालित स्थायीकरण देने की किसी भी संभावना को समाप्त करती है, क्योंकि स्थायीकरण का आदेश तभी दिया जाएगा जब कोई रिक्ति हो एवं कार्य संतोषजनक पाया जाए। स्थायीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं है एवं ,इसलिए, इस नियम की भाषा के आलोक में, मान्य स्थायीकरण को खारिज किया जाता है। अतः, हमारा मत है कि इस पहलू पर उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क में कोई सार नहीं है और न ही कोई आधार है। विद्वान एकल न्यायाधीश एवं खंडपीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही निष्कर्ष निकाला है कि दो वर्ष की अवधि की समाप्ति पर कोई स्वतः स्थायीकरण नहीं होता है तथा दो वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर स्थायीकरण आदेश केवल तभी पारित किया जा सकता है जब रिक्ति हो एवं कार्य संतोषजनक पाया जाए। नियम में यह भी नहीं कहा गया है कि नियम में उल्लिखित दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि, परिवीक्षा की अधिकतम अवधि है तथा परिवीक्षा को दो वर्ष की अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसलिए, हमारा मत है कि स्वतः या मान्य स्थायी का कोई प्रश्न ही नहीं है, जैसा कि उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है। अतः हम इस मुद्दे का उत्तर नकारात्मक रूप में एवं प्रतिवादी के विरुद्ध देते हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सी.वी. सतीशचंद्रन (पूर्वोक्त) के मामले में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका -13 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

"13. खंड 3.8.2 के अनुसार, अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति पर, कर्मचारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा एवं यदि आवश्यक हो, तो बैंक के विवेक पर परिवीक्षा अवधि को कुल दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। खंड 3.8.2 में एक वर्ष की अवधि के पश्चात् परिवीक्षाधीन व्यक्ति की स्वतः स्थायीकरण का प्रावधान नहीं है। समय बीतने पर स्थायीकरण स्वतः नहीं हो जाएगा। नियुक्ति आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि अपीलकर्ता का अधिकारी पद पर स्थायीकरण एक वर्ष की अवधि के अंत/समाप्ति पर स्वतः हो जाएगा। सेवा नियम, जिनका हमने उल्लेख किया है ऐसी किसी भी स्थिति के लिए विशेष रूप से प्रावधान नहीं करते हैं। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति का अर्थ स्थायीकरण होना आवश्यक नहीं

है। परिवीक्षा अवधि के अंत/समाप्ति पर, सामान्यतः अधिकारी की स्थायीकरण हेतु एक आदेश पारित किया जाना आवश्यक होता है एवं यदि ऐसा कोई आदेश पारित नहीं होता है, तो उसे परिवीक्षा पर निरंतर माना जाएगा, जब तक कि नियुक्ति की शर्तें या सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले सुसंगत नियम अन्यथा प्रावधान न करें।"

14. यदि उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित विधि के अनुपात को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू किया जाए, तो यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं के नियुक्ति आदेशों (अनुलग्नक पी-1 से पी-5) में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने के पश्चात् उनकी सेवाएँ स्वतः ही स्थायी हो जाएँगी। याचिकाकर्ताओं पर लागू नियम 1968 के 13(3) में उस सेवा या पद में स्थायीकरण का अलग आदेश पारित करने का प्रावधान है जिस पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी। चूँकि याचिकाकर्ताओं के मामले में स्थायीकरण का ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें परिवीक्षा अवधि पूरी होने के पश्चात् स्थायी नहीं माना जा सकता। उनका निष्कासन बिना किसी कलंक के सरलता से कार्यमुक्ति है एवं इसलिए, याचिकाकर्ताओं को सेवाओं से हटाने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की विधि की कोई आवश्यकता नहीं थी। आक्षेपित आदेशों में कोई अवैधता या दोष नहीं है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

15. परिणामस्वरूप, याचिका में कोई सार न होने के कारण इसे खारिज किया जाना चाहिए एवं तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

धीरेंद्र मिश्रा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नही किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Shri Prahlad Panda, Advocate.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur